न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–शिवपुरी

I/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा/2018/0029

1– कोमल बाई विधवा मनफूल
2– हन्नू पुत्र स्व. मनफूल
3– धनीराम पुत्र स्व. मनफूल
4– रामप्रसाद पुत्र स्व. मनफूल
5– तखत सिंह पुत्र स्व. मनफूल
6– सुशीला पुत्री स्व. मनफूल

निवासीगण – ग्राम घुटारी तहसील कोलारस जिला – शिवपुरी (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

रामा पुत्र श्री रामसिह
निवासी – ग्राम घुटारी तहसील कोलारस जिला – शिवपुरी हाल निवास कोट सिरथरा जनपद पंचायत कोलारस जिला – मुरैना (म.प्र.)

...... अनावेदक

<u>न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 13.10.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1 यहकि, विवादित भूमि ग्राम घुटारी परगना कोलारस में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 57 रकवा 1.03 है0, 179 रकवा 0.39 है0 कुल किता 2 रकवा 1.42 है0 भूमि में से 1/2 यानि रकवा 0.71 है0 भूमि अनावेदक द्वारा क्रय किया जाना बताया गया है। इस संबंध में आवेदक के मृतक पिता मनफूल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को संहिता की धारा 170 (ख) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर धोखे से करायी गयी रजिस्ट्री के संबंध में दिया गया था।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- एक/निग./शिवपुरी/भू.रा./2018/0029

कोमलबाई आदि विरूध रामा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 09/2012-13/अपील में पारित आदेश दिनांक 13/10/2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 18/7/19 को आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 28/5/19 सदस्य	